



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

O/O ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF FOREIGN TRADE

अपर महानिदेशक विदेश व्यापार का कार्यालय

CENTRAL LICENSING AREA, 'A' WING NEW DELHI-110002

आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) का प्रमाण-पत्र

CERTIFICATE OF IMPORTER-EXPORTER CODE (IEC)

1. नाम/Name SHREE SAI OVERSEAS
2. पता/Address C-1/10, RANA PRATAP BAGH DELHI 110007
3. उस व्यक्ति का नाम व पदनाम
जिनका
फोटो ग्राफ बैंक सर्टिफिकेट
पर चिपकाया
गया है।/Name and
Designation of the person
whose photograph has
been affixed on the Bank
Certificate
4. ब्रांच/डिवीजन/इकाईका पता, यदि कोई
हो
Address of the
Branch/Div./Unit if any
5. आईईसी संख्या/IEC Number **0513026649**
6. जारी करने की तिथि/Date Of
Issue 03.07.2013
7. स्थाई खाता सं.(पैन)/PAN AAHPC6860F

SONU CHHABRA
PROP.

स्थान:/Place :New Delhi

(Gobinda Banerjee)

दिनांक:/Date :03.07.2013

विदेश व्यापार विकास अधिकारी/Foreign Trade
Development Officer

(Issued From File.No./फा0सं0[05/04/130/03062/AM14/] से जारी दिनांक dated 03.07.2013)

टिप्पणी/Note: 1. आईईसी धारक के नाम, पता एवं संविधान में किसी भी परिवर्तन के मामले में आईईसी धारक इसी बीच आनुषंगिक परिवर्तन की तारीख से 90 दिन की अवधि की समाप्ति के बाद आईईसी के मद्दे आयात-निर्यात करने का पात्र नहीं होगा। जब तक ऐसे परिवर्तनों को संबंधित लाईसेंसिंग प्राधिकारी के पास आईईसी में प्रविष्ट करने हेतु प्रस्तुत करेगा/ In case of any change in the Name/Address or Constitution of IEC holder, the IEC holder shall cease to be eligible to Import or Export against the IEC after expiry of 90 days from the date of such a change unless in the meantime, the consequential changes are effected in the